

12/2/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित
वकील प्रार्थी - जापालम सत्रप ने रुक-2 कर
लीन वार कावाज लगाई गई, लेकिन कोर उपस्थित
नहीं। अतः प्रार्थी का आवेदन कदम हाजरी
व कदम फेरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
केवल शुभारंभ 22 दालिम दफतर लेकर नम्बर
से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

